

**झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

अधिसूचना

राँची, दिनांक- 17 जुलाई, 2019

संख्या-4/स्था0पद0-02-13/2014 का. 5674/ श्री विकास कुमार त्रिवेदी, झा0प्र0से0 (पंचम बैच, गृह जिला- गिरिडीह), अंचल अधिकारी, तोपचांची, धनबाद को बासुकीनाथ श्रावणी मेला, 2019 के दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु तत्काल प्रभाव से बासुकीनाथ श्रावणी मेला, 2019 की समाप्ति तक के लिए दुमका जिला में कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

II. उपर्युक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के तहत दुमका जिला के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

III. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी उपायुक्त, दुमका के कार्यालय में अविलम्ब योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा श्रावणी मेला बासुकीनाथ की समाप्ति के उपरान्त उपायुक्त, दुमका द्वारा विरमित किये जाने के फलस्वरूप अपने पदस्थापन के पद पर योगदान करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अशोक कुमार खतान)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-4/स्था0पद0-02-13/2014 का. - 5674/ राँची, दिनांक- 17 जुलाई, 2019

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-4/स्था0पद0-02-13/2014 का. - 5674/ राँची, दिनांक- 17 जुलाई, 2019

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव कोषांग, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका/उपायुक्त, दुमका/धनबाद/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपायुक्त, धनबाद से अनुरोध है कि प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से उपायुक्त, दुमका के कार्यालय में योगदान हेतु अविलम्ब विरमित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

सरकार के संयुक्त सचिव।